नवम्बर, 2017 के दौरान, गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने 27-29 नवम्बर, 2017 तक रूस का दौरा किया। दोनों देशों के बीच सहयोग से संबंधित चार द्विपक्षीय लिखतों पर हस्ताक्षर किए गए अर्थात् :

- मिनिस्ट्री ऑफ इंटेरियर ऑफ रशियन फेडरेशन और गृह मंत्रालय के बीच सहयोग के बारे में क़रार।
- मिनिस्ट्री ऑफ इंटेरियर ऑफ रशियन फेडरेशन और गृह मंत्रालय के बीच सहयोग तथा बातचीत संबंधी दिनांक 28 जनवरी, 1993 के करार में संशोधनों को लागू करने के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंटेरियर ऑफ रशियन फेडरेशन और गृह मंत्रालय के बीच प्रोटोकाल।
- वर्ष 2018-20 की अवधि के दौरान, मादक पदार्थ के खतरे से निपटने के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ इंटेरियर ऑफ रशियन फेडरेशन और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय के बीच संयुक्त कार्य योजना; और
- वर्ष 2018-19 के लिए आपात स्थितियों के निवारण और उन्मूलन के क्षेत्र में गृह मंत्रालय तथा रूसी संघ के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल डिफेंस, इमरजेंसीज एण्ड इलिमिनेशन ऑफ कंसक्वेंसेस ऑफ नेशनल डिजास्टर के बीच संयुक्त कार्यान्वयन योजना।

2. दिनांक 03.01.2017 को, माननीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद संबंधी स्थिति के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक की।

3. 08 नवम्बर,2017 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

4. केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में पंछी आयोग की रिपोर्ट (खंड संख्या III, IV एवं V) की सिफारिश पर विचार करने के लिए माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति की 12वीं बैठक दिनांक 25.11.2017 को आयोजित की गई।

5. श्री किरेन रिजीजू, माननीय गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल तथा श्री ब्रेन्डॉन ल्यूईस, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इमिग्रेशन के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच दिनांक 06.11.2017 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई जिसमें आप्रवास, उग्रवाद का सामना करने, साइबर अपराध, आपराधिक

रिकार्डों को साझा करने तथा यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित मुदों पर चर्चा की गई।

6. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति ने वर्ष 2017 में अचानक आई तेज बाढ़/भू-स्खलन के लिए मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता पर विचार किया।

7. विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) ने भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वन हेतु दिनांक 08.11.2017 को बैठक आयोजित की।

8. यूएनसी की मांगों पर चर्चा करने के लिए मणिपुर सरकार, यूनाइटेड नागा काउंसिल तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 10.11.2017 को मणिपुर में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई।

9. केन्द्रीय गृह सचिव वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में दिनांक 28.11.2017 को बैठक आयोजित की।

10. सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में आंध्र प्रदेश को 8.96 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

11. इस माह के दौरान, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिवधियों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सुग्राही बनाने के लिए उन्हें चार परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

12. कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2017 और विभिन्न त्यौहारों के लिए पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 616 कंपनियां तैनात की गईं।

13. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने, उत्तर प्रदेश में नगरपालिका चुनावों तथा गुजरात में विधान सभा चुनाव से संबंधित ड्यूटियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 590 कंपनियां तैनात की गईं।

14. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत मेघालय, पंजाब, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को 167 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

15. इस माह के दौरान, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा जाली भारतीय करेंसी नोटों की जब्ती से संबंधित मामलों में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अंतर्गत छः अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

16. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों आदि हेतु प्राधिकार, संभरण एवं व्यय के लिए 222 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

17. संसद भवन परिसर में संस्थापित एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के व्यापक वार्षिक रख-रखाव हेतु 9.21 करोड़ रुपए की व्यय संबंधी स्वीकृति जारी की गई।

18. माननीय राष्ट्रपति ने इस माह के दौरान, दो राज्य विधेयकों अर्थात् बिहार और ओडिशा सार्वजनिक मांग वसूली (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2016 तथा पंजीकरण (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 को सहमति प्रदान की।

19. दिनांक 15.11.2017 को, मुंद्रा समुद्री पत्तन (गुजरात) तथा विजहिंजम समुद्री पत्तन (केरल) को प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी (आईसीपी) के रूप में घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

* * * * *